भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2760
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कोयला खनन प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के लिए पीएमएफबीवाई

2760. श्री वामसि कृष्णा गद्दामः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) फसल की पैदावार को प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, पेद्दापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कोयला खनन प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत किए गए विशिष्ट प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऋणदाता संस्थाओं को 1.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करने वाली संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान पेद्दापल्ली जिले के लिए कृषि ऋण संवितरण के वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं:

(ग) कोयला खनन कार्यकलापों के आस-पास के गांवों में, विशेषकर कमानपुर और सुल्तानाबाद मंडलों के गांवों में कृषि उत्पादकता पर मृदा प्रदूषण के प्रभाव के संबंध में किए गए किसी भी आकलन का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्रों से कोयला धूल के जमाव और वायु प्रदूषण के कारण फसलों का नुकसान उठा रहे किसानों हेतु स्थापित विशिष्ट मुआवजा तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पेद्दापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के औद्योगिक गलियारों में, विशेषकर कृषि भूमि के लिए सुनियोजित मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रमों की स्थिति क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) : देश में खरीफ 2016 सीजन से शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) मांग आधारित योजना है और राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। फसलों और क्षेत्र की अधिसूचना, बीमा मॉडल का चयन, पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, किसानों का नामांकन, स्वीकार्य दावों की गणना के लिए फसल उपज/फसल नुकसान का आकलन जैसे सभी प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा किए जा रहे हैं तथा संबंधित बीमा कंपनी का निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्थानीय/जमीनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक हितधारक की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में परिभाषित की गई हैं।

तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा पेद्दापल्ली निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य में वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक इस योजना को कार्यान्वित किया गया और तत्पश्चात् इसके कार्यान्वयन को रोक दिया गया।

(ख) : सरकार, पेद्दापल्ली ज़िले सहित पूरे भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) नामक 100% केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य, किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है। पिछले तीन वर्षों में RBI और NABARD (अखिल भारतीय) के माध्यम से MISS के अंतर्गत फंड के वितरण का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	**MISS के अंतर्गत ब्याज अनुदान के लिए भारत सरकार द्वारा फंड का वितरण**
2022-23	17,997.88
2023-24	14,251.93
2024-25	17,811.72

(ग) : कोयला मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) द्वारा कमानपुर और सुल्तानाबाद मंडलों के गांवों में कोयला खनन कार्यों के कारण कृषि उत्पादकता पर मृदा प्रदूषण के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया।

(घ) : कोयला धूल के कारण फसल नुकसान का सामना कर रहे किसानों के लिए SCCL में कोई विशेष मुआवजा तंत्र स्थापित नहीं है। तथापि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों/क्षेत्रों के लिए बुआई पूर्व से लेकर फसल-उपरांत तक रोके न जा सकने वाले योग्य प्राकृतिक जोखिमों के कारण फसल क्षति के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है।

(ड.) : वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) शुरू किए गए थे, जिनका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य और उसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खादों और जैव-उर्वरकों के साथ-साथ द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM) को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करना है। इस योजना के अंतर्गत, पेद्दापल्ली जिले के किसानों सहित राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को 25.13 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं।
